

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-23/2017-

स्वा0, पटना, दिनांक: / /2019

डा0 आलोक कुमार, ट्यूटर(फिजियोलॉजी), श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर को प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के पत्रांक शून्य दिनांक 05.04.2019 द्वारा अग्रसारित अभ्यावेदन के आलोक में NEET PG-2019 में चयन के पश्चात काउंसिलिंग में भाग लेने/नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विभागीय संकल्प संख्या 450(1) दिनांक 15.04.2017 की सभी शर्तें उन पर लागू होंगी ।

2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-
(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-

574(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 14/5/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा0 आलोक कुमार, ट्यूटर(फिजियोलॉजी), श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 8, 9, 10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/5/19
विशेष कार्य पदाधिकारी